

# आमृत विचार

₹ 48.21  
लाख करोड़ रुपये का बजट

बुधवार, 24 जुलाई 2024

वर्ष 5, अंक 248, पृष्ठ 18

2 राज्य, 6 संस्करण

मूल्य 6 रुपये



www.amritvichar.com

बरेली

एक सम्पूर्ण अखबार

बजट



मध्यम वर्ग को राहत

युवाओं के लिए खास

7.75 लाख तक की आय पर कोई कर नहीं

05 योजनाएं युवाओं के लिए इस बजट में

32.07

लाख करोड़ रुपये बजट अनुमान, ऋण को छोड़कर कुल प्राप्तियां

4.9%

जीडीपी का वित्तीय घाटा

4.5%

से घाटे को अगले साल तक नीचे लाने का लक्ष्य

## निर्मल बजट

बजट में मध्यम वर्ग को कर राहत, रोजगार सृजन, छोटे उद्योगों को प्रोत्साहन पर जोर

सीतारमण ने अपना सातवां और मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल का पहला बजट पेश किया

सहयोगी दलों के बिहार और आंध्र को 75 हजार करोड़

25.83

लाख करोड़ रुपये सकल कर प्राप्ति

12

लाख करोड़ रुपये (जीडीपी का 3.4 प्रतिशत) का प्रावधान पूंजीगत व्यय के लिए

नई दिल्ली, एजेंसी/ ब्यूरो

आम बजट पेश करते हुए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मध्यम वर्ग एवं नौकरीपेशा लोगों को राहत के साथ ही सत्तारूढ़ गठबंधन में शामिल सहयोगी दलों के शासन वाले राज्यों- बिहार और आंध्र प्रदेश के लिए कई परियोजनाओं का भी ऐलान किया। सीतारमण ने वित्त वर्ष 2024-25 के बजट में ग्रामीण विकास के लिए 2.66 लाख करोड़ रुपये का प्रावधान किया। वहीं आर्थिक वृद्धि को बढ़ावा देने के लिए बजट में बुनियादी ढांचा परियोजनाओं के लिए 11.11 लाख करोड़ रुपये का आवंटन किया गया है। यह जीडीपी का 3.4 प्रतिशत है। मध्यम वर्ग को 7.75 लाख की सालाना कमाई पर कोई कर नहीं देगा होगा, वहीं युवाओं के लिए पांच नई योजनाएं भी इस बजट में शामिल की गईं।

सीतारमण ने अपना सातवां और नरेंद्र मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल का पहला बजट पेश करते हुए स्टार्टअप में सभी श्रेणी के निवेशकों के लिए एंजल कर समाप्त करने की घोषणा की। जब कोई गैर-सूचीबद्ध या स्टार्टअप कंपनी शेयर जारी कर पूंजी जुटाती है और उसका मूल्य कंपनी के उपयुक्त बाजार मूल्य से अधिक होता है, तब उस पर एंजल कर लगाया जाता है। बजट में मोबाइल फोन एवं सोने पर सीमा शुल्क में कटौती की गई है और पूंजीगत लाभ कर को सरल बनाया गया है। बिहार के लिए एक्सप्रेसवे, बिजलीघर, हेरिटेज कॉरिडोर और नए हवाई अड्डों जैसी बुनियादी ढांचा परियोजनाओं के लिए 60,000 करोड़ रुपये का आवंटन करने की घोषणा की। बिहार में भाजपा की सहयोगी पार्टी जदयू राज्य के लिए आर्थिक पैकेज और विशेष राज्य का दर्जा देने की मांग कर रही है। आंध्र प्रदेश के लिए बहुपक्षीय एजेंसियों के माध्यम से वित्तीय सहायता के रूप में 15,000 करोड़ आवंटित किए गए हैं।

सीतारमण ने कहा कि सरकार का राजकोषीय घाटा 2024-25 में जीडीपी का 4.9 प्रतिशत रहने का अनुमान है। यह 2024-25 के लिए फरवरी में पेश अंतरिम बजट में अनुमानित 5.1 प्रतिशत से कम है। इसका कारण मजबूत कर संग्रह और भारतीय रिजर्व बैंक से अपेक्षा से अधिक लाभांश प्राप्ति है। उन्होंने सकल बाजार उधारी को मामूली रूप से घटाकर 14.01 लाख करोड़ रुपये कर दिया। वित्त वर्ष 2024-25 के बजट में कृषि और संबद्ध क्षेत्रों के लिए 1.52 लाख करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं। शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में तीन करोड़ किफायती आवासों के निर्माण के लिए सहायता, छोटे और मझोले उद्यमों को कर्ज सहायता प्रदान की गई है। इसके अलावा, मुद्रा योजना के तहत छोटे उद्यमों के लिए कर्ज सीमा बढ़ाकर 20 लाख रुपये, 12 औद्योगिक पार्क स्थापित करने का प्रस्ताव और अंतरिक्ष क्षेत्र के लिए 1,000 करोड़ रुपये का उद्यम पूंजी कोष स्थापित करने का प्रस्ताव किया गया है। बजट में उधारियों को छोड़कर कुल प्राप्तियां 32.07 लाख करोड़ और व्यय 48.21 लाख करोड़ रहने का अनुमान लगाया गया है। शुद्ध कर प्राप्ति 25.83 लाख करोड़ रुपये अनुमानित है।

केन्द्रीय बजट 2024-25 (पैसे में)



- उधारी एवं अन्य देनदारियां
- निगमित कर
- आयकर
- सीमाशुल्क
- केन्द्रीय उत्पाद शुल्क
- माल और सेवा कर
- गैर कर राजस्व
- गैर ऋण पूंजीगत प्राप्तियां
- अन्य व्यय
- केन्द्रीय प्रायोजित योजनाएं
- केन्द्रीय योजना आयोजना
- व्याज भुगतान
- रक्षा
- आर्थिक सहायता
- वित्त आयोग एवं अन्य अंतरण
- कर एवं शुल्कों में राज्यों का हिस्सा
- पेंशन

यह बजट समाज के हर वर्ग को शक्ति देने वाला बजट है। गांव को समृद्धि पर ले जाने वाला बजट है और नौजवानों को अनगिनत नए अवसर देने वाला बजट है। आम बजट 2024-25 से जनजातीय समाज, दलित और पिछड़ों को मजबूत करने में मदद मिलेगी और महिलाओं की आर्थिक भागीदारी भी सुनिश्चित करने में मदद मिलेगी। देश में करोड़ों नए रोजगार पैदा होंगे।

नरेंद्र मोदी, प्रधानमंत्री

यह बजट सहयोगी दलों के तुष्टिकरण देने वाला बजट है। बजट में सहयोगियों को खुश करने के लिए अन्य राज्यों की कीमत पर उनसे खोखले वादे किए गए। अपने मित्रों को खुश किया गया, 'एए' को लाभ दिया गया, लेकिन आम भारतीय को कोई राहत नहीं दी गई। कांग्रेस का घोषणापत्र और पिछले कुछ बजट का 'कॉपी-पेस्ट' किया गया है।

राहुल गांधी, नेता प्रतिपक्ष, लोकसभा

युवाओं को मिली उम्मीद

वित्त मंत्री ने कहा कि 4.1 करोड़ युवाओं के लिए रोजगार, कौशल विकास और अन्य अवसर उपलब्ध कराने की योजनाओं और उपायों के लिए पांच साल की अवधि में दो लाख करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। इसके अलावा शिक्षा, रोजगार और कौशल के लिए 1.48 लाख करोड़ रुपये का निर्धारण किया गया है। उन्होंने मध्यम वर्ग के लिए मानक कटौती को 50 प्रतिशत बढ़ाकर 75,000 रुपये करने के साथ नई आयकर व्यवस्था का विकल्प चुनने वाले करदाताओं के लिए कर स्लेब में बदलाव किया। रोजगार को बढ़ावा देने के लिए बजट में कंपनियों के लिए प्रोत्साहन का प्रावधान किया गया है। उच्च शिक्षा के लिए रियायती कर्ज भी प्रदान किया जाएगा। शहरी क्षेत्रों में भारत की आधिकारिक बेरोजगारी दर 6.7 प्रतिशत आंकी गई है, लेकिन निजी एजेंसियों के मुताबिक इसका स्तर कहीं अधिक है।

बजट की प्राथमिकताएं

खेती में उत्पादकता

रोजगार और क्षमता विकास

समग्र मानव संसाधन विकास और सामाजिक न्याय

विनिर्माण और सेवाएं

शहरी विकास

ऊर्जा सुरक्षा

अधोसरंचना

नवाचार, शोध और विकास

अगली पीढ़ी के सुधार

**ये सस्ता**

जूता चप्पल, सोना-चांदी, अन्य कीमती धातु, कपड़ा, कैसर औषधियां, एक्सरे उपकरण, मोबाइल फोन, चार्जर, मोबाइल फोन कल पुर्जे, सौर ऊर्जा के उपकरण, मछली, मछली चारा, प्राकृतिक ग्रेफाइट, प्राकृतिक रेत, धातु, दुर्लभ धातु, निकल, पोर्टेशियम, लिथियम, टिन, युद्धपोत उपकरण और कलपुर्जे, पशुओं की खाल शामिल है।

**20%** प्रतिशत टीडीएस दर प्रस्ताव म्यूचुअल फंडों या यूटीआई द्वारा यूनितों की पुनः खरीद पर

**6%** सीमा शुल्क घटा सोने और चांदी पर, प्लेटिनम पर 6.4 प्रतिशत

**1,000** करोड़ की उद्यम पूंजी निधि मिलेगी अगले 10 वर्षों में अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था को पांच गुणा बढ़ेगी

**ये महंगा**

महंगी होने वाली वस्तुओं में प्लारिडिक, पीवीसी-पलेक्स सीट, बड़े छत्ते, प्रयोगशाला रसायन, भुना सूखे मेवा, सौर ऊर्जा ग्लास और टिन शामिल है।

**50,000** रुपये से बढ़ाकर 75,000 रुपये वेतनभोगी कर्मचारियों के लिए मानक छूट करने का प्रस्ताव

**4.1** करोड़ युवाओं के लिए पांच साल में रोजगार

**2.78** हजार करोड़ रुपये की लागत से देश भर में बनाए जाएंगे राष्ट्रीय राजमार्ग

**15** हजार रुपये तक के एक महीने का वेतन ईपीएफओ में पूंजीकृत पहली बार रोजगार पाने वाले कर्मचारियों को, कर्मचारी और नियोक्ता दोनों को प्रोत्साहन राशि

**3** दवाइयां कैंसर की ट्रेस्ट्रजुमाब डिरुवसटीकेन, ओसिमार्टिनब और डुर्वालुमेब को सीमा शुल्क से पूरी तरह छूट

**1.52** लाख करोड़ रुपये का आवंटन कृषि और इससे जुड़े क्षेत्रों के लिए

**15,000** से बढ़ाकर 25,000 रुपये करने का प्रस्ताव पेंशनभोगियों के लिए पारिवारिक पेंशन पर कटौती पर

# बजट 2024 ₹

## सीतारमण ने रिकॉर्ड सातवीं बार लगातार पेश किया बजट

नई दिल्ली, एजेंसी

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 23 जुलाई को देश का आम बजट पेश कर दिया है। यह उनका रिकॉर्ड 7वां बजट था। वह लगातार 7 बजट पेश करने वाली पहली वित्त मंत्री बन गई हैं। उन्होंने मोरारजी देसाई का रिकॉर्ड तोड़ा है। इस दौरान उन्होंने कई घोषणाएं कीं। सफेद सिल्क साड़ी में वित्त मंत्री का बजट भाषण 1 घंटा और 25 मिनट तक चला। उन्होंने वित्त मंत्री के रूप में अपने कार्यकाल के दौरान सबसे लंबा बजट भाषण देने का रिकॉर्ड भी बनाया था। आइए एक नजर उनके सभी बजट भाषणों समेत अन्य रिकॉर्ड पर डाल लेते हैं।

### पहला पेपरलेस बजट भी पेश कर चुकी हैं सीतारमण

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अपना पहला बजट साल 2019 में दिया था। उनका यह बजट भाषण पूरे 2 घंटे और 15 मिनट तक चला था। उसके अगले साल ही 2020 में बजट पेश करते हुए उन्होंने भारत के सबसे लंबे बजट भाषण का रिकॉर्ड बना दिया था। उस दौरान वित्त मंत्री 2 घंटे 42 मिनट तक बोली थीं। साल 2021 का बजट भाषण 1.40 मिनट का था। हालांकि, इसने भारत के पहले पेपरलेस बजट होने का रिकॉर्ड बनाया था। साल 2023 में निर्मला सीतारमण का बजट भाषण 1 घंटा और 30 मिनट चला था। इसके बाद इसी साल फरवरी में उन्होंने अंतरिम बजट के दौरान 57 मिनट का भाषण दिया था।

### मनमोहन सिंह ने बोले थे सबसे ज्यादा शब्द

भारत के इतिहास में शब्दों के हिसाब से सबसे लंबा बजट भाषण मनमोहन सिंह ने साल 1991 में दिया था। उन्होंने अपनी स्पीच के दौरान 18,700 वर्ड बोले थे। उनके ठीक बाद अरुण जेटली का नंबर आता है। उन्होंने 18,604 शब्दों में अपना बजट भाषण दिया था। देश का सबसे छोटा बजट सिर्फ 800 शब्दों का था। इसे साल 1977 में हीरुभाई एम पटेल ने पेश किया था। यह अंतरिम बजट था। निर्मला सीतारमण अपने बजट भाषणों के जरिए देश के आर्थिक विकास के बदलते परिदृश्य का उल्लेख करती रही हैं।



## प्रदेश की विकास योजनाओं पर खर्च होगी रकम, पुरानी पेंशन बहाली न होने पर राज्य कर्मियों में निराशा

# उप्र को मिलेंगे 2.24 हजार करोड़

राज्य ब्यूरो, लखनऊ

अमृत विचार: देश के आम बजट में इस बार प्रदेश को लगभग पांच हजार करोड़ रुपये ज्यादा रकम की व्यवस्था की गई है। ये रकम प्रदेश की विकास योजनाओं पर खर्च होगी। रोजगार, औद्योगिक विकास, महिलाओं के उत्थान समेत विभिन्न योजनाएं तेजी से आगे बढ़ सकेंगी। लोकसभा चुनाव के पहले मोदी सरकार ने अंतरिम बजट पेश किया था। इस बजट में केन्द्रीय करो में प्रदेश का अंश 2,18,816.84 करोड़ था जो इस बजट में बढ़कर 2,23,737.23 करोड़ हो गया है। शासन के अधिकारियों के अनुसार बजट से सोलर पैनल, सोलर सेल, कैसर की दवाएं, एक्सरे मशीन, मोबाइल फोन, चार्जर, इलेक्ट्रिक वाहन, चमड़े के जूते, चप्पल, पर्स आदि सस्ते होंगे, इससे आम लोगों को सीधा फायदा होगा। बजट में ग्रामीण विकास के लिये

2.66 लाख करोड़ की व्यवस्था की गई है। लघु उद्योगों को बढ़ावा देने के लिये मुद्रा लोन की सीमा 10 लाख से बढ़ाकर 20 लाख की गई है। प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के लिये 10 लाख करोड़ की व्यवस्था की गई है। राष्ट्रीय औद्योगिक गलियारा विकास कार्यक्रम के तहत 12 औद्योगिक पार्क स्थापित होंगे। 100 शहरों में या उसके आस-पास निवेश के लिए तैयार प्लग एण्ड प्ले औद्योगिक पार्क विकसित होंगे। प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना का चौथा चरण शुरू होगा। बजट में राज्य कर्मियों के पुरानी पेंशन की घोषणा न किये जाने से कर्मियों में निराशा है। ऊर्जा क्षेत्र के वितरण क्षेत्र के विकास के लिए कोई रकम आवंटित नहीं की गई है।

### रोजगार को बढ़ावा देने को ईपीएफओ के जरिये तीन योजनाओं की घोषणा

नई दिल्ली। संगठित क्षेत्र में प्रवेश करने वाले नये कामगारों के लिए ईपीएफओ के जरिये तीन योजनाओं की घोषणा की। रोजगार को बढ़ावा देने के मकसद से लाई गई इन योजनाओं के लिए कुल केन्द्रीय परिव्यय 1.07 लाख करोड़ रुपये है। ये योजनाएं कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) में नामांकन पर आधारित होंगी और पहली बार इससे जुड़ने वाले कर्मचारियों को प्रोत्साहन देगी। इनसे कर्मचारियों और नियोजकों को समर्थन मिलेगा। वित्त मंत्री ने बताया सभी संगठित क्षेत्रों में पहली बार ईपीएफओ की योजनाओं से जुड़ने वालों को योजना-क के तहत एक महीने का वेतन सरकार देगी। ईपीएफओ में पहली बार पंजीकृत होने वाले कर्मचारियों को तीन किस्तों में एक महीने का वेतन दिया जाएगा, जो अधिकतम 15,000 रुपये तक होगा।

### 100 शहरों में या उसके आस-पास निवेश के लिए तैयार प्लग एण्ड प्ले औद्योगिक पार्क विकसित होंगे



## नौकरीपेशा लोगों को राहत, मानक कटौती बढ़ाकर 75,000 रुपये

नई दिल्ली, एजेंसी

बजट में आयकर प्रावधानों में कुछ बदलावों की घोषणा करते हुए मध्यम वर्ग और नौकरीपेशा लोगों को राहत दी। मानक कटौती को 50 प्रतिशत बढ़ाकर 75,000 रुपये करने और नई कर व्यवस्था के तहत कर स्लैब में बदलाव का प्रस्ताव बजट में रखा गया। इन घोषणाओं को नौकरीपेशा लोगों के हाथ में कुछ और पैसा देने की कोशिश माना जा रहा है। इससे खपत को प्रोत्साहन मिलने की उम्मीद है। सीतारमण ने कहा कि बजट में किये गये बदलावों से नई कर व्यवस्था अपनाते वाले कर्मचारियों को 17,500 रुपये तक की कर बचत हो सकती है। वेतनभोगी कर्मचारियों के लिए मानक कटौती की सीमा 50,000 रुपये से बढ़ाकर 75,000 रुपये सालाना करने का प्रस्ताव किया गया है। इसी तरह पेंशनधारकों के लिए पारिवारिक पेंशन पर कटौती को 15,000 रुपये से बढ़ाकर 25,000 रुपये का भी प्रस्ताव है। वित्त वर्ष 2023-24 में दो-तिहाई से अधिक व्ययगत करदाताओं ने नई आयकर व्यवस्था को चुना है। पिछले वित्त वर्ष में 8.61 करोड़ से अधिक आयकर रिटर्न दाखिल किये गये। नई आयकर व्यवस्था के तहत कर के नए स्लैब एक अप्रैल, 2024 (आकलन वर्ष 2025-26) से प्रभावी होंगे। सीतारमण ने कहा कि नई व्यवस्था के तहत तीन लाख रुपये तक की आय को आयकर से छूट मिलती रहेगी। प्रस्ताव के मुताबिक, तीन से सात लाख

रुपये की आय पर पांच प्रतिशत, सात से 10 लाख रुपये की आय पर 10 प्रतिशत और 10-12 लाख रुपये की आय पर 15 प्रतिशत कर लगेगा। हालांकि, 12-15 लाख रुपये की आय पर 20 प्रतिशत और 15 लाख रुपये से अधिक की आय पर पहले की तरह 30 प्रतिशत कर लगाता रहेगा। नई आयकर व्यवस्था के मौजूदा प्रावधानों के तहत तीन से छह लाख रुपये तक की आय पर पांच प्रतिशत कर लगाया जाता है। जबकि छह से नौ लाख रुपये के बीच की आय पर 10 प्रतिशत कर लगाता है। वहीं, नौ से 12 लाख रुपये और 12 से 15 लाख रुपये के बीच की आय पर क्रमशः 15 प्रतिशत और 20 प्रतिशत कर लगाता है। 15 लाख रुपये से अधिक की आय पर 30 प्रतिशत आयकर लगता है।

### ये है टैक्स में राहत पाने का फॉर्मूला

नई दिल्ली। वित्त मंत्री ने आयकर में स्टैंडर्ड डिडक्शन मद में मिलने वाली 50 हजार रुपये की छूट की राशि को बढ़ाकर 75,000 रुपये कर दिया है। यानी अगर किसी करदाता की सालाना आय 7 लाख 75 हजार रुपये तक है तो स्टैंडर्ड डिडक्शन के 75,000 रुपये घटाने के बाद उसकी आमदनी 7 लाख रुपये सालाना हो जाएगी। ऐसे में उसे कोई टैक्स नहीं देना पड़ेगा। बजट से पहले की स्थिति में सालाना आमदनी 7,50,000 रुपये तक रहने पर ही करदाता को टैक्स देने से राहत मिलती थी। भले ही नई कर व्यवस्था में तीन लाख तक की कमाई ही टैक्स फ्री है, लेकिन सात लाख तक कमाने वाले को भी टैक्स नहीं देना होता है। इसका कारण है इनकम टैक्स अधिनियम की धारा 87ए के तहत मिलने वाली छूट। धारा 87ए के अनुसार, किसी व्यक्ति की टैक्सबल इनकम 7 लाख रुपये होने पर उसे टैक्स में छूट दी जाएगी और उसे कोई टैक्स नहीं देना होगा।

### नए टैक्स सिस्टम के तहत प्रस्तावित टैक्स स्ट्रक्चर इस प्रकार है

इनकम	टैक्स
3,00,000 तक की आय	कोई टैक्स नहीं
3,00,001 से 7,00,000 तक	3,00,000 से ज्यादा पर 5% टैक्स
7,00,001 से 10,00,000 तक	20,000 + 7,00,000 से ज्यादा पर 10% टैक्स
10,00,001 से 12,00,000 तक	50,000 + 10,00,000 से ज्यादा पर 15% टैक्स
12,00,001 से 15,00,000 तक	80,000 + 12,00,000 से ज्यादा पर 20% टैक्स
15,00,000 से ज्यादा	1,40,000 + 15,00,000 से ज्यादा पर 30% टैक्स

### मौजूदा टैक्स स्ट्रक्चर इस प्रकार है

इनकम	टैक्स
3,00,000 तक की आय	कोई टैक्स नहीं
3,00,001 से 6,00,000 तक	3,00,000 से ज्यादा पर 5% टैक्स
6,00,001 से 9,00,000 तक	15,000 + 6,00,000 से ज्यादा पर 10% टैक्स
9,00,001 से 12,00,000 तक	45,000 + 9,00,000 से ज्यादा पर 15% टैक्स
12,00,001 से 15,00,000 तक	90,000 + 12,00,000 से ज्यादा पर 20% टैक्स
15,00,000 से ज्यादा	1,50,000 + 15,00,000 से ज्यादा पर 30% टैक्स

## इन बदलावों पर नजर जरूरी

- गिरवी या तृतीय पक्ष गारंटी के बिना मशीनरी और उपकरण की खरीद के लिए एमएसएमई को आवधिक ऋण की सुविधा देने के लिए ऋण गारंटी योजना
- 2.2 लाख करोड़ रुपये की केन्द्रीय सहायता सहित 10 लाख करोड़ रुपये के निवेश से अगले पांच वर्ष में एक करोड़ शहरी गरीब और मध्यम वर्ग के परिवारों की आवास जरूरतों का समाधान
- 100 साप्ताहिक 'हाट' या स्ट्रीट फूड हब के विकास में सहायता अगले पांच वर्षों में प्रत्येक वर्ष चुनिंदा शहरों में
- विष्णुपद मंदिर गलियारा, महाबोधि मंदिर गलियारा और राजगीर का व्यापक विकास।
- टैक्स अधिकरणों, उच्च न्यायालयों और उच्चतम न्यायालय में प्रत्यक्ष करों, उत्पाद शुल्क और सेवा कर से संबंधित अपीलों को दायर करने के लिए मौद्रिक सीमाओं को क्रमशः 60 लाख रुपये, दो करोड़ रुपये और पांच करोड़ रुपये तक बढ़ेगा
- सरकार नियोजकों को उसके ईपीएफओ योगदान के लिए दो साल तक हर अतिरिक्त कर्मचारी पर 3000 हजार रुपये हर महीना
- पांच साल की अवधि में 20 लाख युवाओं के कौशल विकास के लिए नई योजना
- 7.5 लाख रुपये तक के ऋण की सुविधा उपलब्ध कराने के लिए मॉडल कोशल ऋण योजना
- सरकार की योजनाओं और नीतियों के तहत किसी लाभ के लिए पात्र नहीं होने वाले युवाओं को परेनू संस्थानों में उच्चतर शिक्षा के लिए 10 लाख रुपये तक के ऋण
- तीन साल में किसानों और उनकी जमीन को शामिल करने हेतु कृषि में डिजिटल सार्वजनिक अवसररचना (डीपीआई) को लागू किया जाएगा।
- अमृतसर-कोलकाता औद्योगिक गलियारे के साथ गया में औद्योगिक केंद्र का विकास
- जनजातीय-बहुल गांवों व आकांक्षी जिलों में जनजातीय परिवारों का सामाजिक-आर्थिक विकास के 63,000 गांवों के पांच करोड़ जनजातीय लोग लाभार्थी होंगे।
- उत्तर-पूर्वी क्षेत्र में इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक की 100 शाखाएं खोलना
- तरुण श्रेणी के अंतर्गत मुद्रा ऋणों की सीमा को उन उद्यमियों के लिए मौजूदा 10 लाख रुपये से बढ़ाकर 20 लाख
- इस वर्ष भी 1.5 लाख करोड़ रुपये के व्याज रहित दीर्घवधि ऋण का प्रावधान
- प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना में 25,000 ग्रामीण बसावटों के लिए बारहमासी सड़क संपर्क उपलब्ध होगा बिहार में कोसी-मेची अंतर्राज्यीय लिंक और अन्य योजनाओं जैसी परियोजनाओं के लिए 11,500 करोड़ रुपये की वित्तीय सहायता
- सरकार बाढ़, भूस्खलन और अन्य संबंधित परियोजनाओं के लिए असम, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और सिक्किम को सहायता देगी
- ओडिशा के मंदिरों, स्मारक, शिल्प, वन्य जीव अभयारण्य, प्राकृतिक भू-दृश्य और प्राचीन समुद्री तट के विकास हेतु सहायता
- अनुसंधान और नवाचार को बढ़ावा देने के लिए एक लाख करोड़ रुपये के वित्तीय पूल व्यवस्था
- सभी भू-खण्डों के लिए अनन्य भूखंड पहचान संख्या (यूपीएआईएन) अथवा भू-आधार
- कृषक रजिस्ट्री से जोड़ना वन स्टॉप समाधान के लिए ई-श्रम पोर्टल को अन्य पोर्टलों से जोड़ना
- नाबालिगों के लिए माता-पिता और अभिभावकों के योगदान से एक योजना के रूप में पनपीएस वास्तव्य
- चरणबद्ध विनिर्माण कार्यक्रम के तहत एक्सप्रेस ट्यूब और मेडिकल एक्सप्रेस मशीनों में इस्तेमाल हेतु प्लेट पैनेल डिडक्शन पर मूलभूत सीमा शुल्क में बदलाव
- 25 महत्वपूर्ण खनिजों को सीमा शुल्क से पूरी तरह छूट
- सोलर सेल और पैनलों के विनिर्माण में इस्तेमाल होने वाली भारी वस्तुएं सीमा शुल्क के दायरे से बाहर
- लौह, निकेल और बिल्टरस्ट तांबे पर मूलभूत सीमा शुल्क हटा
- तांबा स्क्रैप पर 2.5 प्रतिशत रियायती मूलभूत सीमा शुल्क
- रजिस्ट्रारों के विनिर्माण हेतु ऑक्सिजन मुक्त तांबे पर कुछ शर्तों पर मूलभूत सीमा शुल्क हटा
- अमोनियम नाइट्रेट पर मूलभूत सीमा शुल्क को 7.5 प्रतिशत से बढ़कर 10 प्रतिशत
- प्लास्टिक पीवीसी फ्लैक्स बेनरों पर मूलभूत सीमा शुल्क को 10 प्रतिशत से बढ़कर 25 प्रतिशत
- दूरसंचार उपकरण के पी.सी.बी.ए. पर बीसीडी को 10 प्रतिशत से बढ़कर 15 प्रतिशत
- फ्यूचर्स और ऑप्शन्स के विकल्पों पर सिक्विटीटी ट्रांजेक्शन टैक्स को बढ़ाकर क्रमशः 0.02 प्रतिशत और 0.1 प्रतिशत करने का प्रस्ताव

































